



एएफआर

सुरक्षित रखने की तिथि: 16.12.2025

निर्णय की तिथि: 16.02.2026

अपलोड करने की तिथि: 16.02.2026

2026: AHC: 33341

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 15439 वर्ष 2025

नीरज कुमार और अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : अमित कुमार श्रीवास्तव, केसरी नाथ त्रिपाठी, रघुवंश मिश्रा, राम कुमार यादव

विपक्षीगण के अधिवक्ता : आदर्श भूषण, अनुराग कुमार पांडेय, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. अभियुक्त-आवेदकों द्वारा यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आरोपपत्र संख्या 70/2025 दिनांक 12.02.2025, संज्ञान आदेश दिनांक 28.02.2025 तथा आपराधिक वाद संख्या 1686/2025 (राज्य बनाम नीरज कुमार एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 883/2024, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली से उद्भूत है, की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त वाद में आवेदक संख्या-1 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(n), 323 एवं 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत, जबकि आवेदक संख्या-2 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354(घ), 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।

2. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, विपक्षी पक्ष संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चन्द्र बदन को सुना गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट विपक्षी पक्ष संख्या-2 द्वारा दिनांक 01.12.2024 को रात्रि 20:37 बजे अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि विपक्षी पक्ष संख्या-2 (पीड़िता) एक विवाहित महिला है, जिसके पति सेना में कार्यरत हैं। पी.सी.एस. (प्रांतीय सिविल सेवा) परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी मित्रता ममता नामक एक महिला से हुई, जिसने पीड़िता का परिचय अपने भाई एवं अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 नीरज कुमार से कराया। यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 07.08.2022 को अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 ने पीड़िता को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राजरानी होटल, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बुलाया, जहाँ उसने उसके साथ जबरन बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील वीडियो एवं फोटोग्राफ बना लिए। इसके पश्चात अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उक्त धमकी के कारण अभियुक्त ने पुनः दिनांक 14.08.2022 तथा तत्पश्चात 27.10.2022 को पीड़िता को राजरानी होटल बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। आगे यह भी आरोप है कि दिनांक 18.11.2023 को पीड़िता को होटल रेडिसन, बरेली बुलाया गया, जहाँ उसे ब्लैकमेल कर पुनः उसके साथ बलात्कार किया गया। दिनांक 19.05.2024 को अभियुक्त ने पीड़िता को मोबाइल फोन पर कॉल कर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके उपरान्त अभियुक्त ने उक्त वीडियो एवं फोटोग्राफ अपने चचेरे भाई, आवेदक संख्या - 02, को हस्तांतरित कर दिए, जिसने भी पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उससे यौन सम्बन्ध स्थापित करने की माँग की। पीड़िता द्वारा इस माँग को अस्वीकार करने पर आवेदक संख्या-2 ने कथित रूप से उक्त वीडियो एवं फोटोग्राफ पीड़िता के परिवारजनों को भेज दिए, जिससे उसका जीवन अत्यंत दुःखद हो गया और उसने आत्महत्या तक करने का विचार किया।

4. धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान में उसने कहा कि पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात ममता से हुई, जिसने उसे बताया कि उसका भाई नीरज भी पी.सी.एस. की तैयारी कर रहा है और वह उसकी सहायता कर सकता है। इसके बाद पीड़िता नोट्स प्राप्त करने हेतु नीरज के घर जाने लगी। कुछ समय पश्चात नीरज ने उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए राजरानी होटल बुलाया, जहाँ उसने उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए तथा उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तथा विभिन्न होटलों में बुलाकर उसके

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ बलात्कार करता रहा। उसने यह भी कहा कि नीरज ने उक्त वीडियो अपने चचेरे भाई शोभित को हस्तांतरित कर दिए, जिसने भी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और सभी वीडियो उसके परिवारजनों को भेज दिए।

5. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने आगे कहा कि वर्ष 2022 में पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी ममता से फेसबुक के माध्यम से पहचान हुई। ममता ने उसे बताया कि उसका भाई नीरज पी.सी.एस. में चयनित हो चुका है और वह उसकी परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहायता कर सकता है। इसके पश्चात दोनों एक-दूसरे के घर आने-जाने लगे और कभी-कभी वह नीरज से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु बाहर भी मिलती थी। पीड़िता ने आगे कहा कि एक बार नीरज ने उसे अपने जन्मदिन पर राजरानी होटल बुलाया। वह होटल के कमरे में गई। वह थकी हुई थी और कमरे में रखा पानी पी लिया, जिसके कुछ ही समय बाद उसे चक्कर आने लगे। तभी नीरज कमरे में आया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसने बलात्कार की वीडियो भी बनाई, यद्यपि उसने वह वीडियो उसे कभी दिखाई नहीं, किन्तु लगातार उसे वायरल करने की धमकी देता रहा। आवेदक संख्या-1 ने उसके साथ मारपीट भी की तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब भी वह शारीरिक सम्बन्ध बनाने से इंकार करती, अभियुक्त उसे उसके बच्चों को मार डालने अथवा उनका अपहरण करने की धमकी देता, जिसके कारण वह अपने पति को इस घटना के संबंध में कुछ नहीं बता सकी। उसने यह भी कहा कि बाद में नीरज ने उक्त वीडियो अपने भाई शोभित को दे दिए, जिसने भी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार, अंतिम बार नीरज ने उसके साथ उसके ही घर पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए। नीरज के चचेरे

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भाई ने भी उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया, किन्तु उसने मना कर दिया। इसके बाद दोनों आवेदकों ने कथित रूप से वीडियो एवं फोटोग्राफ उसके पति और परिवारजनों को भेज दिए। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके दो पुत्र हैं, जिनकी आयु क्रमशः 13 वर्ष एवं 12 वर्ष है। उसने यह भी कहा कि दिनांक 18.11.2023 को उसे होटल रेडिसन बुलाया गया, जहाँ उसके साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि बलात्कार भी किया गया।

6. पीड़िता के पति का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज बयान, पीड़िता द्वारा वीडियो हस्तांतरण के संबंध में दिए गए कथनों के संदर्भ में विचारणीय है। अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त वीडियो के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नीरज एवं शोभित द्वारा भेजे गए वीडियो एवं फोटोग्राफ उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, अतः वे वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

7. पीड़िता के पिता राजा राम ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में कहा कि उन्हें कोई वीडियो अथवा फोटोग्राफ प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बड़ी पुत्री (पीड़िता) का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था तथा उसके दो पुत्र हैं।

8. एफ.आई.आर. में उल्लिखित ममता रानी ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में कहा कि वह प्रारम्भ में पीड़िता को नहीं जानती थीं, किन्तु दिनांक 03.04.2021 को उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर पीड़िता की ओर से मित्रता अनुरोध (फ्रेंड रिक्वेस्ट) प्राप्त हुआ था। लगभग एक वर्ष तक उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, किन्तु अंततः दिनांक 03.04.2022 को उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच बातचीत प्रारम्भ हो गई। कुछ ही समय में दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई तथा दोनों

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवारों के बीच परस्पर आवागमन होने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका विवाह हो चुका है, उनके दो बच्चे हैं तथा वह वर्ष 2016 से बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं।

9. उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय में उन्हें पीड़िता के व्यवहार को लेकर शंका होने लगी, जिसके कारण उन्होंने उससे दूरी बना ली। तथापि, नीरज एवं सुमन (पीड़िता) के मध्य संबंधों के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अभियुक्त नीरज उनका सगा भाई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आई.सी.डी.एस. निदेशालय के अधीन बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

10. होटल राजरानी के प्रबंधक श्री आदेश कुमार ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में कहा कि वर्ष 2022-23 के होटल रजिस्टर क्षेत्राधिकारी-III (सी.ओ.-III) के पास उपलब्ध हैं, अतः वह उस अवधि के दौरान आगन्तुकों के ठहरने के संबंध में कोई रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

11. होटल रेडिसन के प्रबंधक जाकिर अली ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 18.11.2023 को कक्ष संख्या 506, नीरज कुमार द्वारा *makemytrip.com* एप्लीकेशन के माध्यम से दो व्यक्तियों के लिए बुक कराया गया था। दिनांक 18.11.2023 को लगभग 15:12 बजे होटल में प्रवेश दर्ज हुआ तथा दिनांक 19.11.2023 को लगभग 09:39 बजे होटल से प्रस्थान दर्ज किया गया। उन्होंने आगन्तुकों के पहचान-पत्र एवं बिल उपलब्ध करा दिए, किन्तु यह भी स्पष्ट किया कि सी.सी.टी.वी. फुटेज केवल 15 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाती है, अतः उक्त अवधि की सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग अब उपलब्ध नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराई गई है। शिकायत करने वाली महिला शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं; उसका कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है। अभिलेख से स्पष्ट है कि पीड़िता ने स्वयं फेसबुक के माध्यम से अभियुक्त की बहन को मित्रता अनुरोध (फ्रेंड रिक्वेस्ट) भेजा, उसके निकट आई और तत्पश्चात ममता से दूरी बनाकर अभियुक्त-आवेदक नीरज के निकट आ गई। यह भी तर्क दिया गया कि स्वयं पीड़िता के कथन के अनुसार प्रारम्भ में अभियुक्त-आवेदक नीरज और पीड़िता अपने-अपने आवास पर तथा कभी-कभी बाहर भी मिलते थे। पीड़िता ने एफ.आई.आर. तथा अपने बयानों में परस्पर विरोधी कथन दिए हैं। एक स्थान पर उसने कहा है कि अभियुक्त ने जन्मदिन समारोह के अवसर पर राजरानी होटल में उसके साथ जबरन बलात्कार किया, जबकि दूसरे स्थान पर उसने कहा कि उसने होटल के कमरे में रखा पानी पिया, जिससे उसे चक्कर आने लगे और तत्पश्चात उसके साथ बलात्कार किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि स्वयं पीड़िता ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त नीरज ने उनके यौन संबंधों का वीडियो बनाया था, किन्तु उसने वह वीडियो उसे कभी नहीं दिखाया। इसके बावजूद अभियुक्त कथित रूप से उन्हीं वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करता रहा और विभिन्न होटलों में उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता रहा। यह भी तर्क दिया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पीड़िता के वीडियो अथवा फोटोग्राफ उसके पति अथवा परिवारजनों को भेजे गए थे, क्योंकि पीड़िता के पति ने केवल इतना कहा है कि उन्हें वीडियो प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने हटा (डिलीट) कर दिया, जबकि पीड़िता के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ। अतः ब्लैकमेलिंग का आधार ही अस्तित्वहीन है और कथित रूप से लगातार स्थापित किए गए यौन अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंध वास्तव में अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 एवं पीड़िता के मध्य सहमति से स्थापित यौन संबंध थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएँ भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होती हैं। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **टोमासो ब्रूनो और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 7 एससीसी 178 (पैरा 21 एवं 27)** के निर्णय पर, सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध न होने के संबंध में, भरोसा किया। एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलम्ब के संबंध में उन्होंने **हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2022) 15 एससीसी 164 (पैरा 23 एवं 24)** तथा **चंचलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2023) 20 एससीसी 120 (पैरा 21)** के निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की। आरोपपत्र निरस्तीकरण के प्रश्न पर उन्होंने **पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2024 (3) जे.आई.सी.124 (एससी)] (पैरा 11 एवं 15)** तथा **शिव प्रताप सिंह राणा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, [2024 (128) एससीसी 966] (पैरा 24 एवं 25)** के निर्णयों का हवाला दिया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदन के साथ संलग्न मोबाइल चैट से स्पष्ट होता है कि पीड़िता ही अभियुक्त-आवेदक संख्या-1 पर संबंध स्थापित करने के लिए दबाव बना रही थी। उद्धृत निर्णयों के प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैं:-

टोमासो ब्रूनो (ऊपर बताए गए) मामले में:-

21. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के लिए अभियोजन को सर्वप्रथम यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त घटना के समय होटल के कमरे में उपस्थित थे। पी.डब्ल्यू.-1 राम सिंह, होटल प्रबंधक, ने कहा कि होटल की सीमाओं, रिसेप्शन, रसोईघर, रेस्टोरेंट तथा तीनों मंजिलों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। चूँकि प्रमुख स्थानों पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सीसीटीवी कैमरे लगे थे, अतः यह सिद्ध करने हेतु कि अभियुक्त कमरे के भीतर थे अथवा बाहर गए थे, सीसीटीवी फुटेज सर्वोत्तम साक्ष्य होती। सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिससे यह स्पष्ट हो सकता था कि अभियुक्त होटल के भीतर ही रहे अथवा नहीं तथा क्या वे अपराध के लिए उत्तरदायी थे। यह भी स्पष्ट हो सकता था कि अभियुक्त होटल से बाहर गए थे अथवा नहीं। सीसीटीवी फुटेज एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य होने के कारण अभियोजन का दायित्व था कि वह सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करता, जो इस मामले में अनुपस्थित है। हमारे मत में सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत न किया जाना, जो कि सर्वोत्तम साक्ष्य थी, अभियोजन के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।"

27. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ग) के अनुसार, यदि कोई पक्ष अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य, जो विवादित तथ्य पर प्रकाश डाल सकती है, को प्रस्तुत नहीं करता, तो न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगा सकता है, भले ही प्रमाण का भार उस पक्ष पर न हो। धारा 114(ग) के अंतर्गत अनुमान केवल एक अनुमेय अनुमान है, अनिवार्य नहीं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के विपरीत, जहाँ न्यायालय को विधिक अनुमान लगाना ही पड़ता है, धारा 114 के अंतर्गत न्यायालय के पास विवेकाधिकार होता है कि वह परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाए अथवा न लगाए। धारा 114(ग) के अंतर्गत प्रतिकूल अनुमान लगाने का प्रश्न उस तथ्य की प्रकृति, जिसे सिद्ध किया जाना है, उसके महत्व, उसे सिद्ध करने की सामान्य पद्धति, अप्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा संबंधित पक्ष की उस तक पहुँच जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन सभी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यों पर समुचित विचार करने के पश्चात ही किसी पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।"

हसमुखलाल डी. वोरा (उपरोक्त) के प्रकरण में:

23. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भिक स्थल निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस तथा शिकायत दर्ज करने के मध्य चार वर्ष से अधिक की असाधारण देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वस्तुतः, ऐसे किसी स्पष्टीकरण के अभाव में न्यायालय को यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य रहा होगा।

24. यद्यपि अत्यधिक विलम्ब अपने आप में किसी आपराधिक शिकायत को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता, तथापि ऐसे मामलों में बिना स्पष्टीकरण के अत्यधिक एवं असामान्य विलम्ब को आपराधिक शिकायत को निरस्त करने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक के रूप में अवश्य विचार किया जाना चाहिए।"

चंचलपति दास (उपरोक्त) के प्रकरण में :-

"21. शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब के संबंध में, इस न्यायालय ने हाल ही में हसमुखलाल डी. वोरा बनाम राज्य तमिलनाडु के प्रकरण में यह कहा है कि यद्यपि अत्यधिक विलम्ब अपने आप में आपराधिक शिकायत को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता, किन्तु बिना स्पष्टीकरण के अत्यधिक विलम्ब को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक तथा शिकायत को निरस्त करने के आधार के रूप में अवश्य विचार किया जाना चाहिए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पंकज सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में :-

“11. इस मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (f) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया था। धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (f) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए दण्ड, उपधारा (1) के अंतर्गत दण्ड की अपेक्षा अधिक कठोर है। जब किसी भी स्तर पर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376(2)(f) के अंतर्गत कोई आरोप निर्धारित ही नहीं किया गया, तो इस अवस्था पर न तो अभियोजन पक्ष और न ही पीड़िता यह तर्क कर सकती है कि धारा 376(2)(f) इस मामले में लागू होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जो मामले की जड़ से संबंधित है, यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण के दौरान उससे यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि वह पीड़िता के प्रति विश्वास की स्थिति में था। किसी भी स्थिति में, अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क कि अपीलार्थी-अभियुक्त पीड़िता के प्रति विश्वास की स्थिति में था, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। अभियुक्त और पीड़िता के मध्य कोई प्रत्ययी (fiduciary) संबंध नहीं था, जो कि पीड़िता के साक्ष्य के परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है। अतः प्रथमदृष्टया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-A के अंतर्गत कोई उपधारणा लागू नहीं होगी और इसलिए यह भार अभियोजन पक्ष पर होगा कि वह यह सिद्ध करे कि यौन संबंध पीड़िता की सहमति के बिना स्थापित किए गए थे। हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि हमारी विधिक व्यवस्था में, जब तक कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान अभियुक्त पर प्रतिकूल भार नहीं डालता, तब तक अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का कोई भार अभियुक्त पर नहीं होता। यद्यपि कुछ मामलों में, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 114-A के अंतर्गत, अभियुक्त पर सीमित भार हो सकता है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व था कि वह अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करे।

15. इस प्रकार, पीड़िता एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना से एक माह पूर्व से ही अपीलार्थी-अभियुक्त एवं पीड़िता के बीच नियमित रूप से व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा था। दूसरा, अपीलार्थी-अभियुक्त पीड़िता से उस समय मिला जब वह हांसी की यात्रा पर जा रही थी। पीड़िता ने स्वयं अभियुक्त को अपनी हांसी यात्रा के बारे में सूचित किया था। तीसरा, होटल के कमरे से बाहर निकलते समय पीड़िता ने न तो कोई विरोध किया, न ही कोई शोर-शराबा मचाया और न ही किसी प्रकार की शिकायत की। उसने अभियुक्त के साथ होटल से निकलते समय होटल रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किए। अंततः, होटल में प्रवेश करते समय अपीलार्थी-अभियुक्त और पीड़िता ने स्वयं को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया।

शिव प्रताप सिंह राणा (उपरोक्त) के प्रकरण में :-

"24. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने "तथ्य की भ्रांति" अभिव्यक्ति पर अत्यधिक बल दिया। तथापि, हमारे मत में, वर्तमान मामले में कोई तथ्यगत भ्रांति नहीं है। अभियोजन का प्रारम्भ से ही यह मामला रहा है कि जब अपीलार्थी अभियोजन पक्ष की गवाह (पीड़िता) के साथ संबंध स्थापित करने पर जोर दे रहा था, तब पीड़िता ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया था कि अपीलार्थी उसके छोटे भाई का मित्र तथा उसके जीजा का दूर का अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिश्तेदार है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता के अनुसार अपीलार्थी उससे आयु में छोटा था। फिर भी, पीड़िता स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ मंदिर गई, जहाँ उसने जलप्रपात के नीचे स्वेच्छा से स्नान किया। उसका यह आरोप कि स्नान करते समय तथा वस्त्र बदलते समय अपीलार्थी ने चोरी-छिपे उसके फोटोग्राफ ले लिए और बाद में उन्हीं फोटोग्राफ के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया, अप्रमाणित रह जाता है, क्योंकि न तो ऐसे फोटोग्राफ बरामद किए गए और न ही वह मोबाइल फोन जब्त किया गया, जिससे कथित रूप से वे फोटोग्राफ लिए गए थे। यदि वास्तव में पीड़िता अपीलार्थी के किसी प्रकार के भय अथवा दबाव में थी, तो यह तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता कि वह डबरा से ग्वालियर तक की यात्रा अपीलार्थी के साथ ट्रेन से करती। ग्वालियर पहुँचने के बाद भी वह अपीलार्थी के साथ स्कूटर पर अनूपम नगर स्थित किराये के मकान तक गई, जहाँ उसके अनुसार अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए। किन्तु उस समय उसने न तो कोई शोर-शराबा किया और न ही किसी प्रकार का विरोध दर्ज कराया। इसके विपरीत, वह अपीलार्थी के साथ पुनः डबरा लौट आई। यहीं पर दोनों का संबंध समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके पश्चात भी चलता रहा। स्वयं पीड़िता का यह कथन है कि एक समय दोनों पक्षों के परिवारजन उनके विवाह के विषय में विचार-विमर्श हेतु मिले थे, किन्तु विवाह के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है, न तो शपथ-पत्र और न ही स्टाम्प पत्र पुलिस द्वारा बरामद अथवा जब्त किए गए। इसी प्रकार आभूषण भी बरामद नहीं किए गए। पीड़िता की माता द्वारा अपीलार्थी को दिए गए कथित चेक अथवा धनराशि के अंतरण को प्रदर्शित करने वाले बैंक विवरण भी पुलिस द्वारा संकलित नहीं किए गए। ऐसे साक्ष्यों के अभाव में पीड़िता के मामले का सम्पूर्ण आधार ही ध्वस्त हो जाता है। अतः अपीलार्थी के दोषसिद्ध होने की संभावना अत्यंत अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्षीण है। वस्तुतः, यह ऐसा मामला भी नहीं है, जो विचारण योग्य प्रतीत होता हो। यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है, जिसमें सहमति से स्थापित संबंध बाद में बिगड़ गए और परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन परिस्थितियों में न्यायालय का मत है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपीलार्थी को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु बाध्य करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि विचारण का परिणाम पूर्वनिर्धारित प्रतीत होता है।

25. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं:-

- (i) अपीलार्थी एवं पीड़िता के मध्य संबंध सहमति पर आधारित थे;
- (ii) दोनों पक्ष लगभग दो वर्षों तक संबंध में रहे; और
- (iii) हालाँकि दोनों पक्षों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच शादी को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।”

13. विपक्षी पार्टी नंबर 2 के अधिवक्ता और राज्य के A.G.A. ने कहा है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में हुई देरी की वजह पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई थी; इसके अलावा, एक शादीशुदा महिला होने के नाते पीड़िता केवल अपने परिवार और पारिवारिक जीवन को बचा रही थी। एफ.आई.आर. दर्ज कराने में देरी और उसके स्पष्टीकरण के मुद्दे पर, वकीलों ने 'दीपक बनाम हरियाणा राज्य' (2015) 4 एससीसी 762 (पैराग्राफ नंबर 15) और 'मनेन्द्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और अन्य'

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2022) 20 एससीसी 757 (पैराग्राफ नंबर 21, 22 और 23) के फैसलों का हवाला दिया है। हर मामले के संबंधित पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:-

दीपक (ऊपर बताए गए मामले) में:-

15. न्यायालय इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि यौन अपराधों, और खासकर एक युवा अनपढ़ लड़की के साथ बलात्कार के मामले में, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कई कारणों से देरी हो सकती है। एक कारण यह है कि शिकायतकर्ता महिला या उसके परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन जाने और घटना की शिकायत करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि यह मामला शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा और पूरे परिवार की इज़्ज़त से जुड़ा होता है। ऐसे मामलों में, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़े सभी पहलुओं और नफ़े-नुकसान पर अच्छी तरह विचार करने के बाद, आमतौर पर पीड़ित या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से यौन अपराध की शिकायत दर्ज कराई जाती है। असल में, 'स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह' मामले में इस कोर्ट की यही राय रही है।

मनेन्द्र प्रसाद तिवारी (ऊपर बताए गए मामले) में:-

“21. बात को दोहराते हुए हम कहते हैं कि हाई कोर्ट का विवादित आदेश बिल्कुल समझ से बाहर है। हमें अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जिसमें उच्च न्यायालय ने एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के आरोपी को बरी करना सही समझा हो।”

22. यह विधि द्वारा भली-भाँति स्थापित है कि यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका अथवा धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय उच्च न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित आरोपों को निरस्त करना संभव है, तथापि ऐसा साक्ष्यों की सत्यता, पर्याप्तता अथवा उनकी स्वीकार्यता का मूल्यांकन करके नहीं किया जा सकता। आरोप निरस्तीकरण की प्रार्थना वाले मामले में उच्च न्यायालय को यह सिद्धांत अपनाना चाहिए कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विश्वास कर लिया जाए, तो क्या वे किसी अपराध का गठन करते हैं अथवा नहीं। आरोप निर्धारण के समय प्रस्तुत सामग्री की सत्यता, पर्याप्तता तथा स्वीकार्यता का परीक्षण केवल विचारण (ट्रायल) के चरण में ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो आरोप निर्धारण के स्तर पर न्यायालय को केवल उपलब्ध सामग्री का परीक्षण इस उद्देश्य से करना होता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के प्रथमदृष्टया घटित होने का मामला बनता है या नहीं।

23. यह भी विधि द्वारा स्थापित है कि जब कोई अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका अथवा धारा 397 सहपठित धारा 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर उसके विरुद्ध निर्धारित आरोपों को निरस्त करने की प्रार्थना करता है, तब न्यायालय को आरोप निर्धारण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि न्याय के हित में तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरोपों को निरस्त करना अत्यंत आवश्यक न हो। ऐसा आदेश केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और अत्यन्त दुर्लभ मामलों में ही पारित किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात विचारण की कार्यवाही अनावश्यक रूप से किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा बाधित नहीं की जानी चाहिए तथा अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर आने दिया जाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य अभिलेख पर आने से पूर्व आरोपों को निरस्त कराने का प्रयास, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।"

14. विपक्षी पक्ष संख्या - 02 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 एक लोक सेवक है तथा पीड़िता पी.सी.एस. परीक्षा की अभ्यर्थी थी। वह अभियुक्त-आवेदक संख्या-1 से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही थी, किन्तु अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील वीडियो एवं फोटोग्राफ बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार केवल उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के कारण किया गया। आगे यह कहा गया कि अभियुक्त संख्या - 01 ने अश्लील वीडियो एवं फोटोग्राफ के माध्यम से पीड़िता का शोषण करने के पश्चात उक्त अश्लील सामग्री अपने चचेरे भाई को हस्तांतरित कर दी, जिसने भी पीड़िता को ब्लैकमेल करना प्रारम्भ कर दिया। इसके पश्चात ही पीड़िता ने विरोध किया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पीड़िता की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, बल्कि वह निरंतर क्षति एवं भय की स्थिति में थी और उसकी सहमति उसी भय से प्रभावित थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त-आवेदक ने पीड़िता की स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक सहमति से यौन सम्बन्ध स्थापित किए, क्योंकि कथित सहमति अश्लील वीडियो वायरल करने के भय के कारण प्राप्त की गई थी। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय राघव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, आवेदन धारा 482 संख्या 9501/2019 (पैरा 20, 22 एवं 23) पर भरोसा किया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"20. प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) के प्रकरण में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 एवं 376 के अंतर्गत "सहमति" के प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत् प्रतिपादित किया है:-

"18. ऊपर बताए गए मामलों से जो कानूनी स्थिति सामने आती है, उसका सार यह है कि धारा 375 के तहत किसी महिला की 'सहमति' में प्रस्तावित काम के बारे में सक्रिय और सोच-समझकर लिया गया फैसला शामिल होना चाहिए। यह तय करने के लिए कि क्या शादी के वादे से पैदा हुई 'तथ्य की गलतफहमी' के कारण 'सहमति' अमान्य हो गई थी, दो बातें साबित होनी चाहिए। शादी का वादा झूठा होना चाहिए, जो बुरी नीयत से किया गया हो और जिसे करते समय उसे पूरा करने का कोई इरादा न हो। झूठा वादा ऐसा होना चाहिए जो तुरंत मायने रखता हो, या जिसका महिला के यौन संबंध बनाने के फैसले से सीधा संबंध हो।"

22. अतः, उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों एवं निर्णयों के आलोक में यदि वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या-2 मित्र थे, तथापि विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने आवेदक के साथ मित्रता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के संबंध के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट है कि प्रारम्भ में विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने आवेदक के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तथापि, वह निरंतर आवेदक के संपर्क में बनी रही। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में लगाए गए आरोपों के अनुसार, जिनका समर्थन धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए उसके बयानों में भी किया गया है, आवेदक ने अपनी माता की बीमारी एवं अस्पताल में भर्ती होने का बहाना बनाकर विपक्षी पक्ष संख्या-2 को अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घर बुलाया, जहाँ उसे चाय पिलाई गई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। उक्त चाय पीने के पश्चात विपक्षी पक्ष संख्या-2 अचेत हो गई और उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन शोषण किया गया तथा उसके नग्न चित्र लिए गए। इसके पश्चात, उसे उन चित्रों के माध्यम से ब्लैकमेल कर संबंध बनाए रखने के लिए विवश किया गया। अतः, एफ.आई.आर. में वर्णित प्रथम घटना के संबंध में विपक्षी पक्ष संख्या-2 की ओर से कोई सहमति नहीं थी। इसलिए, प्रथमदृष्टया आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का अपराध बनता है। यद्यपि, आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या-2 के मध्य बाद में जो संबंध स्थापित हुआ, वह प्रारम्भ में आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न भय और धमकी के वातावरण के कारण था तथा बाद में आवेदक द्वारा विवाह का वादा भी किया गया, जिसे विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने उक्त भय एवं दबाव के कारण स्वीकार किया। तथापि, बाद में दोनों पक्ष पर्याप्त लम्बे समय तक सहमति-आधारित संबंध में रहे। इसके पश्चात, जब आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों ने विपक्षी पक्ष संख्या-2 से विवाह करने से इंकार कर दिया, तब वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। यह तथ्य कि दोनों के बीच निरंतर शारीरिक संबंध थे, विवेचना के दौरान पर्याप्त रूप से स्थापित हुआ है तथा वर्तमान आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट-21 में संलग्न फोटोग्राफों एवं उन होटलों के कर्मचारियों के बयानों से भी इसकी पुष्टि होती है, जहाँ दोनों ठहरते थे।

निष्कर्ष

23. इसलिए, इस कोर्ट की राय में, चूंकि आवेदक और विपक्षी पार्टी नंबर 2 के बीच शुरुआती रिश्ता धोखाधड़ी, धमकी आदि के ज़रिए और विपक्षी पार्टी नंबर 2 की मर्जी के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बिना बना था, इसलिए प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत अपराध बनता है। हालांकि, बाद का रिश्ता शादी के वादे पर आपसी सहमति से बना हुआ लगता है, लेकिन विपक्षी पार्टी नंबर 2 का कहना है कि यह सहमति भी शुरू में आवेदक द्वारा पैदा किए गए डर या धमकी के माहौल में दी गई थी। इसलिए, इस कोर्ट की राय में, आवेदक द्वारा जिन फैसलों (*शिवशंकर, प्रमोद सूर्यभान पवार और जियाउल्लाह*) का हवाला दिया गया है, वे आवेदक के किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि शुरुआती घटना विपक्षी पार्टी नंबर 02 की मर्जी के खिलाफ हुई थी। इसलिए, आवेदक की मांग के अनुसार कार्यवाही को रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है; इसी आधार पर यह अर्जी *खारिज* की जाती है।

15. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

16. इस न्यायालय के सामने चार्जशीट, संज्ञान लेने के आदेश और आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने के मुद्दे पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या आरोपी आवेदक नंबर -01 द्वारा पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार और आरोपी आवेदक नंबर - 02 द्वारा पीड़िता की मर्यादा भंग करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, या फिर इस मामले में मुकदमा चलाने से आवेदकों को नुकसान होगा और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

17. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज बयानों को प्रथमदृष्टया ध्यान में रखा जाए, तो उनके साधारण अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17.1 पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसके बच्चे हैं। उसका विवाह वर्ष 2006 में एक सेना कर्मी से हुआ था तथा उसके बच्चों की आयु लगभग 13 एवं 12 वर्ष है;

17.2 पीड़िता वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण वह मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अभियुक्त संख्या-1 नीरज कुमार से मिलने लगी, जो उक्त परीक्षा पूर्व में उत्तीर्ण कर चुका था। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पीड़िता वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अभ्यर्थी थी, उसने परीक्षा का आवेदन-पत्र कब भरा था तथा वह कौन-सा प्रयास ने जा रही थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका खुलासा नहीं किया गया है, जबकि यह आवश्यक था, क्योंकि पीड़िता एक विवाहित महिला थी और अभियुक्त से केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से मिल रही थी तथा अभियोजन का पूरा मामला इसी तथ्य से प्रारम्भ होता है;

17.3 पीड़िता ने अभियुक्त-आवेदक संख्या-1 की बहन ममता से फेसबुक के माध्यम से मित्रता स्थापित की तथा उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाई और तत्पश्चात अभियुक्त से मिली, जबकि ममता पहले से विवाहित थी तथा अभियुक्त उसका भाई होने के कारण अपने पैतृक घर में निवास कर रहा था;

17.4 इसके पश्चात पीड़िता अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 से उसके घर पर तथा घर के बाहर भी मिलने लगी;

17.5 दिनांक 07.08.2022 को अभियुक्त-आवेदक नीरज कुमार ने पीड़िता को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राजरानी होटल बुलाया। एफ.आई.आर. में यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त-आवेदक ने उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीडियो एवं फोटोग्राफ लिए। जबकि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि वह होटल के कमरे में गई, वह थकी हुई थी और उसने कमरे में रखा हुआ पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे, तत्पश्चात अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 कमरे में आया और उसके साथ बलात्कार किया। उसे अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 द्वारा बनाई गई वीडियो कभी नहीं दिखाई गई। यह तथ्य दर्शाता है कि पीड़िता को अभियुक्त-आवेदक संख्या-01 द्वारा बनाई गई कथित वीडियो के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे उस वीडियो के वायरल होने का डर बना हुआ था;

17.6 यह उसी अदृश्य (अनदेखे) वीडियो के आधार पर था कि पीड़िता के अनुसार अभियुक्त-आवेदक संख्या -01 द्वारा दिनांक 14.08.2022, 27.10.2022 तथा 18.11.2023 को विभिन्न होटलों में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया, क्योंकि उसे उस वीडियो को वायरल कर दिए जाने की धमकी का भय था;

17.7 कथित रूप से दिनांक 07.08.2022 को बनाई गई उक्त वीडियो को 19.05.2025 से कुछ समय पूर्व अभियुक्त-आवेदक संख्या -02 को हस्तांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.05.2024 को अभियुक्त-आवेदक संख्या -02 ने पीड़िता को उसके मोबाइल फोन पर कॉल कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी तथा उससे यौन अनुग्रह की मांग की, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया;

17.8 इसके पश्चात उक्त वीडियो पीड़िता के परिवारजनों तथा उसके पति को भेजे जाने का आरोप लगाया गया है। तथापि, यह न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही पीड़िता के बयान में स्पष्ट किया गया है कि उक्त वीडियो कब भेजी गई तथा परिवार के किन-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किन सदस्यों को भेजी गई। पीड़िता के पिता ने ऐसी किसी वीडियो को प्राप्त करने से इनकार किया है, जबकि पीड़िता के पति ने यह कहा है कि उसे वीडियो प्राप्त हुई थी, किन्तु उसने उसे डिलीट कर दिया। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि उसे उक्त वीडियो कब प्राप्त हुई थी;

17.9 परिवार के सदस्यों एवं पति को वीडियो भेजे जाने के बावजूद, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.12.2024 को विलम्ब से दर्ज कराई गई।

18. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में एफ.आई.आर. तथा पीड़िता के बयानों की विषयवस्तु पर विचार किया गया है। यदि आरोपित तथ्यों को सत्य मान भी लिया जाए, तब भी विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह मामला विचारण (ट्रायल) की कसौटी पर खरा उतर सकता है? यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसके दो बच्चे हैं। कथित रूप से प्रथम बार दिनांक 07.08.2022 को अभियुक्त द्वारा होटल में जन्मदिन मनाने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया गया, जहाँ स्वयं पीड़िता ने कमरे में रखा पानी पीने की बात कही है तथा यह भी कहा है कि पानी पीने के पश्चात उसे चक्कर आने लगे और उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता एक शिक्षित एवं विवाहित महिला है। यदि उसके साथ बलात्कार हुआ था, तो यह विचारणीय है कि उसने घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना क्यों नहीं दी अथवा अपने पति को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। इसके बाद की बात यह है कि साल 2022 में होटल में कुछ खास तारीखों पर तीन बार और नवंबर 2023 में एक बार उसके साथ रेप किया गया। घटना की रिपोर्ट करने के लिए काफी समय था, लेकिन उसे वीडियो या फोटो के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, जबकि उसने वह वीडियो या फोटो कभी देखा ही नहीं था।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. यौन संबंध सहमति से स्थापित हुए थे या जबरदस्ती, इस बात पर विचार करते समय पीड़िता द्वारा बताए गए अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीड़िता ने विशिष्ट तिथियों का उल्लेख किया है, जिन पर अभियुक्त-आवेदक संख्या -01 ने उसे होटल बुलाया और वह अपनी वीडियो वायरल किए जाने के भय से प्रत्येक बार अभियुक्त-आवेदक संख्या-1 के कहने पर उसके समक्ष उपस्थित होती रही, जबकि उसने यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया कि वास्तव में अभियुक्त के पास कोई वीडियो है भी या नहीं। स्वयं पीड़िता ने कहा है कि उसने दिनांक 07.08.2022 की कथित वीडियो कभी देखी ही नहीं। यह विश्वास करना कठिन है कि एक विवाहित महिला केवल इस आशंका के आधार पर कि अभियुक्त-आवेदक संख्या-1, जो स्वयं एक लोक सेवक है, उसकी वीडियो वायरल कर देगा, लगातार विभिन्न होटलों में उसके साथ यौन संबंध बनाती रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रशांत बनाम राज्य (NCT दिल्ली), (2025) 5 एससीसी 764** में, दीर्घकाल तक चले यौन संबंधों को बलपूर्वक यौन संबंध मानने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह कहा कि स्वैच्छिक सहमति के अभाव में पक्षकारों के बीच दीर्घकालीन शारीरिक संबंध बनाए रखना अकल्पनीय है। निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद 17 एवं 18 निम्नवत् हैं:-

"17. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को यथावत सही मान लिया जाए, तो क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है। एफ.आई.आर. का साधारण अवलोकन दर्शाता है कि अपीलकर्ता एवं शिकायतकर्ता पहली बार वर्ष 2017 में संपर्क में आए और उसके बाद उनके मध्य संबंध स्थापित हुए। वर्ष 2017 से 2019 के मध्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दोनों अनेक बार विभिन्न स्थानों पर, जिनमें पार्क तथा एक-दूसरे के घर भी सम्मिलित हैं, मिले। यद्यपि शिकायतकर्ता ने यह कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए, तथापि उसने न तो उसके बाद अपीलकर्ता से मिलना बंद किया और न ही उक्त अवधि में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।"

"18. यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता अपनी स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अपीलकर्ता से मिलती रहती या उसके साथ दीर्घकालीन संबंध अथवा शारीरिक संबंध बनाए रखती। इसके अतिरिक्त, यह भी असंभाव्य है कि अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता का आवासीय पता ज्ञात होता, जैसा कि एफ.आई.आर. में वर्णित है, जब तक कि शिकायतकर्ता ने स्वयं यह जानकारी स्वेच्छा से न दी हो।"

20. रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2025) 4 एससीसी 197 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षित पक्षकारों के मध्य स्थापित यौन संबंधों पर विचार करते हुए यह माना कि जहाँ शिकायतकर्ता लंबे समय तक कथित यौन शोषण के विषय में मौन बनी रहती है, तो इसे उसकी सहमति माना जाएगा।

21. वर्तमान मामले में पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसने यह कहा है कि वह प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 के संपर्क में आई। तथापि, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं की अभ्यर्थी थी। स्वयं पीड़िता ने यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 से उसके घर पर तथा अन्य स्थानों पर भी मिलती थी। वह अभियुक्त के जन्मदिन समारोह में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होटल गई थी तथा बाद में उस वीडियो के वायरल किए जाने के कथित भय से, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, कथित दबाव के आगे झुक गई। मैं पीड़िता के किसी भी अश्लील वीडियो या फोटो को उसके पति या परिवार के सदस्यों को भेजने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। होटल का कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज भी उपलब्ध नहीं है। ये सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि पीड़िता एक सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी, जिसकी सहमति न तो उसके बच्चों की हत्या के भय से प्राप्त की गई थी और न ही अश्लील वीडियो अथवा फोटोग्राफ के माध्यम से उसे ब्लैकमेल करके प्राप्त की गई थी।

22. अभियुक्त-आवेदक संख्या - 02 को भी इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। तथापि, अभियुक्त-आवेदक संख्या - 02 के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसने कभी पीड़िता की कोई वीडियो अथवा फोटो प्रेषित की अथवा उसका उपयोग पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए किया।

23. आखिर में, यह बताना उचित होगा कि आरोपी आवेदक ने आरोपी आवेदक नंबर 1 और पीड़िता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को एप्लीकेशन के पैराग्राफ 17 में जोड़ा है और उसका जिक्र किया है, जिसका प्रत्युत्तर प्रतिशपथ-पत्र के अनुच्छेद 10 में यह कहते हुए दिया गया है कि चैटिंग केवल मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती थी। तथापि, प्रथमदृष्टया इन चैट्स से अध्ययन संबंधी मार्गदर्शन के अतिरिक्त निजी बातचीत भी दिखाती हैं।

24. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में बल पाया जाता है और इसे स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. परिणामस्वरूप, आरोपपत्र संख्या 70 वर्ष 2025 दिनांक 12.02.2025, संज्ञान आदेश दिनांक 28.02.2025 तथा आपराधिक वाद संख्या 1686 वर्ष 2025 (स्टेट बनाम नीरज और अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 883 वर्ष 2024, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली से उत्पन्न हुआ है, जिसमें अभियुक्त-आवेदक संख्या - 01 के विरुद्ध धारा 376(2)(n), 323, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम तथा अभियुक्त-आवेदक संख्या -02 के विरुद्ध धारा 354(d), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही लंबित है, उसे एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक- 16.02.2026

शरद/-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।